(87)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः-- /XVII-3/13-01(विविध)/2010

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनु0-3 देहरादून दिनांक 07 फरवरी, 2013

विषयः-वित्तीय वर्ष 2012-13 में पिरान-ए-कलियर, रुड़की (जनपद-हरिद्वार) में निर्माणाधीन हज हाउस के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्याः 990 दिनांक 16 जनवरी, 2013 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद हरिद्वार में निर्माणाधीन हज हाउस के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिरान-ए-कलियर, रुड़की (हरिद्वार) में निर्माणाधीन हज हाउस के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि ₹350.00 लाख के सापेक्ष फर्निशिंग कार्यो हेतु आगणंन के परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 80.87 लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य) एवं भवन कार्य हेतु अवशेष धनराशि ₹268.96 लाख इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 349.83 लाख (₹ तीन करोड़ उन्नचास लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
2. उ0प्र0रा0नि0 निगत द्वारा छः माह के अंतर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये। उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा स्वयं के व्यय पर आई0आई0टी0, रुड़की से प्रस्तावित टेस्टिंग की कार्यवाही तत्काल सम्पन्न करायी जाए ताकि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
3. आई0आई0टी0, रुड़की से गुणवत्ता के सम्बन्ध में उचित परिणाम प्राप्त होने व भवन हस्तान्तरण के उपरान्त, स्वीकृत धनराशि की अन्तिम किश्त (आंगणन की धनराशि का 10 प्रतिशत) जारी किया जाएगा।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। कार्य हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्व संतोषजनक व्यय विषयक आख्या प्राप्त होने पर ही वर्तमान में स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।
5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आंगणन में प्राविधानित टयूबवैल के कार्य हेतु व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में

निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से जी गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
7. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
10. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।
11. कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–(आयोजनागत)–00– 800–अन्य व्यय–03–हज हाउस के निर्माण के मानक मद 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–59(P)/XVII(1)/2013, दिनांक 07फरवरी,2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति तथा अलोटमेंट आई.डी. संख्या–S1302150092 दिनांक 07.02.2013 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 86 /(1)XVII-3/13-01 (विविध)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 हरिद्वार इकाई हरिद्वार।
6. वरिष्ठ शोध अधिकारी, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय देहरादून।
7. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सोमपाल)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Minority Welfare (S064)

आवंटन पत्र संख्या - **86/XVII-3/13-01(Vivid)/2010**

अनुदान संख्या - **015**

अलोटमेंट आई डी - **S1302150092**

आवंटन पत्र दिनांक - 07-Feb-2013

HOD Name - Director Minority Welfare (4132)

1: **लेखा शीर्षक -** 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 00 -

800 - अन्य व्यय 03 - हज हाउस का निर्माण

00 - हज हाउस का निर्माण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	5000000	0	5000000
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के स	0	34983000	34983000
	5000000	**34983000**	**39983000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 34983000